इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536 र

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2016-पौष 1, शक 1938

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्र. एफ. 1-8-2016-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उमिरया जिले की तहसील बांधवगढ़ की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत करकेली-02 के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 45 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और बांधवगढ़ तहसील के राजस्व निरीक्षक वृत करकेली-02 के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 45 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील करकेली का सृजन करती है, जिसमें 23 पटवारी हल्के और 42 ग्राम समाविष्ट होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय करकेली में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्र. एफ. 1-8-2016-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-8-2016-सात-शा. 6 दिनांक 21 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 21st December 2016

No. F-1-8-2016-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Bandhavgarh of District Umaria from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 23 to 45 of Revenue Circle Karkeli-02 and creates a new Tehsil Karkeli by comprising of Patwari Halka No. 23 to 45 of Revenue Circle Karkeli-02, which shall be comprised of 23 Patwari Halkas and 42 Villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Karkeli.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDAY, Principal Secy.